



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102022-239714
CG-DL-E-17102022-239714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4697]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 2022/आश्विन 25, 1944

No. 4697]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2022/ASVINA 25, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4909(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5102(अ) तारीख 29 नवम्बर 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 4728 तारीख 9 दिसम्बर 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी. के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 6 जनवरी 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : अनंतपुरमु		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनंतपुरमु	टाटीचेरला	72	00	06
2			77/4	00	05
3			94/1	00	03
4			99	00	16
5			137	00	07
6			287/1	00	02
7			281/3	00	54
8			278	00	01
9			304	00	07
10			306/1A	00	07
11			315/5	00	18
12			316	00	14
13			332/2	00	39
14			332/1	00	25
मंडल : गारलादीने		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गारलादीने	सिरीवारम	305	00	05
2			225/5	00	02
3			225/3	00	07

4			230	00	17
5			119/6	00	07
6			115	00	07
7			123/2	00	12
8			37	00	04
9			35	00	04
10			16	00	05
11			9/4	00	08
12			7/3	00	15
13	गारलादीने	अंकमपेटा	22/3	00	01
14			21/4	00	06
15			20/2	00	01

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2022

S.O. 4909(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and S.O.No.5102(E) dated the 29th November 2021, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No. 4728 dated the 09th December 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette Notification were made available to the public up to 6 January 2022.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Ananthapuramu		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ananthapuramu	Taticherla	72	00	06
2			77/4	00	05
3			94/1	00	03
4			99	00	16
5			137	00	07
6			287/1	00	02
7			281/3	00	54
8			278	00	01
9			304	00	07
10			306/1A	00	07
11			315/5	00	18
12			316	00	14
13			332/2	00	39
14			332/1	00	25
Mandal: Garladinne		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Garladinne	Sirivaram	305	00	05
2			225/5	00	02
3			225/3	00	07
4			230	00	17
5			119/6	00	07
6			115	00	07
7			123/2	00	12
8			37	00	04
9			35	00	04
10			16	00	05
11			9/4	00	08
12			7/3	00	15
13	Garladinne	Anakampeta	22/3	00	01
14			21/4	00	06
15			20/2	00	01

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.